



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को सकुशल बरामद कर
किया परिजनो के सुपुर्द**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया की नाबालिग पुत्री का घर से बिना बताये कही चले जाने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 274/24 धारा 363 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा व गुमशुदा महिलाओं/युवतियों की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.09.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग युवती को महिला बाल बालिका, जनता रोड़ से अपनी कस्टडी में लिया गया तथा नाबालिग को सकुशल परिजनो के सुपुर्द किया गया।

तलाश करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0 134 विनित थाना सदर बाजार स0पुर
3. म0का0838 मिनाक्षी थाना सदर बाजार स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर सूचना बावत अभियुक्त .1 शकील पुत्र अमीर निवासी पलठेडी थाना गढीपुख्ता जिला शामली द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो खींचने तथा अभिगण 2. अरशद पुत्र इकराम व 3. अरशद पुत्र मुर्करम उर्फ सुक्का निवासीगण पलठेडी थाना कच्चीखेडी जिला शामली द्वारा भी सम्बन्ध बनाने की जबरदस्ती करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 346/24 धारा 87,64(1),74,352,351(2) बीएनएस व 3(2)5ए, 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभियुक्त शकील पुत्र अमीर निवासी पलठेडी थाना गढीपुख्ता जिला शामली** को ग्राम सबौली दुलीचन्दपुर स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शकील पुत्र अमीर निवासी पलठेडी थाना गढीपुख्ता जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आनन्दपाल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व एनबीडब्ल्यू/वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त रवि उर्फ बाक्सर पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जलालपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 2465/22 व मु0अ0स0 350/20 धारा 147/148/149/307/332/504/506 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन निर्गत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर में ग्राम ढकदेई मेले से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रवि उर्फ बाक्सर पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जलालपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अति0प्रभारी निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी 07

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला की सुरक्षा व महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.09.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम व आमजन के सहयोग से एक नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने वाले 07 अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र तिलकराज, 2. विक्रान्त पुत्र राजकुमार निवासीगण छिदयाना वाल्मीकि बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर, 3. सुरजीत पुत्र सोनी लाल निवासी ग्राम वाल्मीकि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 4. उदय पुत्र भोपाल निवासी रिष्पनापुल हरिद्वार रोड थाना नेहरू कालोनी जिला देहरादून, 5. रवि शंकर पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी खंलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 6. विजय पुत्र बाबूराम निवासी न्यू शारदा नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर व 7. सावन पुत्र ओमपाल निवासी प्रबुद्धनगर सदर जे0वी0जैन कालेज थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को ग्राम मिरगपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आधार पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 523/24 धारा 191/333/75/76 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम राहुल व 06 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राहुल बाल्मीकि पुत्र तिलकराज निवासी छिदयाना बाल्मीकि बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. विक्रान्त पुत्र राजकुमार निवासी छिदयाना बाल्मीकि बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. सुरजीत पुत्र सोनी लाल निवासी ग्राम बाल्मीकि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. उदय पुत्र भोपाल निवासी रिष्पनापुल हरिद्वार रोड थाना नेहरू कालोनी जिला देहरादून
5. रवि शंकर पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी खंलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. विजय पुत्र बाबूराम निवासी न्यू शारदा नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
7. सावन पुत्र ओमपाल निवासी प्रबुद्धनगर सदर जे0वी0जैन कालेज थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. म0है0का0 प्रियंका शर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. 4-5 आमजन निवासीगण कस्बा देवबन्द सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2023 को वादी श्री अभिलाष चौबे खान/माइन्स निरीक्षक, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा राजस्व की हानि पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी कूटरचित प्रपत्र तैयार कर धोखाधडी से अवैध खनन मे सीज गाडियो को रिलीज कराने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0 350/2023 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना से बिलाल पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली का नाम प्रकाश मे आया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त बिलाल पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बिलाल पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 71 प्रदीप थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला की सुरक्षा व महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त रियासत पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कासमपुर खास थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 144/24 धारा धारा 64(1),137(2), 87,352 बीएनएस व 3/ 4 पोक्सो अधि0 को चौकी रोड़ी बेलवाला के पास में स्थित सुलभ शौचालय (हरिद्वार) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रियासत पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कासमपुर खास थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. म0का0 912 आरती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 17.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.मुकीम पुत्र मुमतियाज, 2. मुमतियाज पुत्र नामालूम, 3. मुकीम का भाई नाम नामालूम निवासीगण सराय काहरान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व वादिया द्वारा अभियुक्तगण के घर जाकर अपनी पुत्री के बारे में पूछने पर गाली गलौज करने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 462/2024 धारा 137(2)/352 बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **मुकीम पुत्र मुमतियाज निवासी सराय काहरान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को तल्हेडी चुंगी के पास कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/65(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुकीम पुत्र मुमतियाज निवासी सराय काहरान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।